# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 134/2019

1. दिनेश कुमार आयु 34 वर्ष आ0 पारसचन्द जाति महाजन निवासी जैथल हाल निवास बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

**बनाम**

1. पारस कुमार उर्फ पारसचन्द आयु 59 वर्ष आ0 अमोलकचन्द जाति महाजन निवासी जैथल हाल निवास बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. मनोज कुमार आयु 37 वर्ष आ0 पारसचन्द जाति महाजन निवासी जैथल हाल निवास बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. प्रवीण कुमार आयु 28 वर्ष आ0 पारसचन्द जाति महाजन निवासी जैथल हाल निवास बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
4. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0 पाटन

—प्रतिवादीगण

**वादः— अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि**

**अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट**

उपस्थिति :—

1— वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट

2— प्रतिवादी की और से श्री महेन्द्र गुर्जर एडवोकेट

**—::निर्णय::—** दिनांकः 23.10.2019

1— वादी के द्वारा दिनांक 21.08.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया ।

2— वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 56 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2784 रकबा 0.85 है0, खसरा सख्या 3057/2758 रकबा 1.66 है0, खसरा संख्या 3088/2451 रकबा 0.66 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम व माल ओहड़ी (नवीन) पटवार क्षेत्र जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे विस्थित है । मूल पुरुष अमोलकचन्द है। अमुलकचन्द का पुत्र पारस कुमार उर्फ पारसचन्द है ।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

पारस कुमार उर्फ पारसचन्द का पुत्र वादी दिनेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 2 मनोज कुमार प्रतिवादी संख्या 3 प्रवीण कुमार है। वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढ़ी दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी 1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते मे दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय या अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को विधिवत रूप से 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे।

3– वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जो जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से दिनांक 23/10/2019 को राजीनामा पेश किया गया ।

4– बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23.10.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया । राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है ।

**–::निर्णय::–**

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है । खाता संख्या नया 56 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2784 रकबा 0.85 है0, खसरा सख्या 3057/2758 रकबा 1.66 है0, खसरा सख्या 3088/2451 रकबा 0.66 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम व माल ओहड़ी (नवीन) पटवार क्षेत्र जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा । तहसीलदार केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0 को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/10/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/10/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

## डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
## (आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
## (Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

**दिनेश कुमार v/s पारस कुमार उर्फ पारसचन्द वगै0**

**वादः– अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि**

**मुकदमा नम्बर :: 134/2019**

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से श्री महेन्द्र गुर्जर की ओर से उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23/10/2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है । खाता संख्या नया 56 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2784 रकबा 0.85 है0, खसरा सख्या 3057/2758 रकबा 1.66 है0, खसरा सख्या 3088/2451 रकबा 0.66 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 3.17 है0 वाके ग्राम व माल ओहड़ी (नवीन) पटवार क्षेत्र जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है । तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा । तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।"

नीज .................... ग .................... मुबलिक ....................ग .................... बाबत ...........ग . ................ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ......... ग ................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ...........ग ................ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23/10/2019 को जारी की गई।

(मोहर)

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.11.18 14:44:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: